

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271483
CG-DL-E-01042026-271483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]
No. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

फा. सं. 1/12/केविप्रा/डीपीएम/विनियमन/2025.—चूंकि प्रारूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026, जिसके द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव है, का विज्ञापन देने के लिए सार्वजनिक सूचना, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के उप-धारा (2) और विद्युत (पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन आवश्यकतानुसार, छह समाचार पत्र दैनिकों में प्रकाशित की गई थी, ताकि उक्त प्रारूप विनियमों की सार्वजनिक प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें;

तथा चूंकि समाचार पत्रों में विज्ञापित सार्वजनिक सूचना तथा उक्त प्रारूप विनियमों की प्रति 23 फरवरी, 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

तथा चूंकि जनता से प्राप्त उक्त प्रारूप विनियमों पर आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है:

अतः, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उपधारा (2) के खंड (ग) और धारा 55 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, एतद्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 4 के उप-विनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी;

परन्तु सुसंगत भारतीय मानक में निर्दिष्ट से अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता वाले सभी उपभोक्ता कनेक्शनों को स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग सुविधा वाले मीटर या सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर प्रदान किए जाएंगे;

परन्तु यह और कि जो क्षेत्र संचार नेटवर्क की कवरेज के अंतर्गत नहीं हैं, वहां संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप, पूर्व भुगतान मीटरों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी;

परन्तु यह भी कि सभी एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पूर्व भुगतान सुविधा और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरप्रचालनीयता होगी;

परन्तु यह भी कि 1.0/0.5S की सटीकता श्रेणी वाले संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर, 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर पर ओपन एक्सेस की अनुमति प्राप्त उपभोक्ता के लिए इंटरफेस मीटर के रूप में कार्य करेगा।”

3. उक्त विनियमों के विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, सारणी-1 में क्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

क्र. सं.	चरण	मुख्य मीटर	चेक मीटर	स्टैंडबाई मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“4.	अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली या राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित उपभोक्ता, जिन्हें समुचित आयोग द्वारा 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर पर ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई है या कोई अन्य प्रणाली, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है।	उपभोक्ता के परिसर में।		उपभोक्ता परिसर में अलग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पर या लाइसेंसधारी के सबस्टेशन पर, जैसा कि आपसी सहमति से तय किया गया हो।
5.	650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज स्तर वाले उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति नहीं है।	उपभोक्ता के परिसर में।	उपभोक्ता के परिसर में।	-----”.

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./02/2026-27]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 502/70/CEA/DP&D, दिनांक 22 मार्च, 2006 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या CEA-GO-13-15(12)/1/2022-DPR डिवीजन, दिनांक 28 फरवरी, 2022 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

F. No. 1/12/CEA/DPM/Regulations/2025.—Whereas public notices advertising the draft Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2026 proposing to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, were published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said draft regulations was made available to the public ;

And whereas copy of the public notice as advertised in the newspapers and the said draft regulations were made available to the public on the website of the Central Electricity Authority on 23rd February, 2026;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 177 read with sub-section (1) of section 55 of the Electricity Act, 2003(36 of 2003), the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations further to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, namely: –

1. Short Title and Commencement. -(1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 (herein after referred to as the said regulations), in sub-regulation (1) of regulation 4, for clause (b) the following shall be substituted, namely:-

“(b) All consumers in areas with communication network, shall be supplied electricity with Smart Meters conforming to relevant IS, within the timelines as provided by the Central Government:

Provided that all consumer connections having current carrying capacity beyond that specified in relevant IS, shall be provided with meters having automatic remote meter reading facility or Smart Meters as per relevant IS:

Provided further that in areas which are not covered with communication network, installation of prepayment meters, conforming to relevant IS, shall be allowed by the respective State Electricity Regulatory Commission.

Provided also that all the Advanced Metering Infrastructure shall include the prepayment functionality and shall be interoperable in accordance with the guidelines issued by the Authority:

Provided also that the Smart Meter conforming to relevant Indian Standard with accuracy class of 1.0/0.5S shall act as an Interface meter for the consumer permitted open access at voltage level not exceeding 650 V.”.

3. In regulation 7 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (a), in Table-1 for Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

Sl. No.	Stages	Main Meter	Check Meter	Standby Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“4.	Consumer directly connected to the Inter- State Transmission System or Intra-State Transmission System or Distribution System who has been permitted open access at voltage level exceeding 650 V by the Appropriate Commission or any other system not covered above	At consumer premises		At consumer premises on separate Instrument Transformer or at Licensee’s substation as mutually agreed.

5.	Consumer permitted open access at voltage level not exceeding 650 V	At consumer premises	At consumer premises	-----”.
----	---	----------------------	----------------------	---------

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./02/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. 502/70/CEA/DP&D, dated the 22nd March, 2006 and last amended *vide* notification No. CEA-GO-13-15(12)/1/2022-DPR Division, dated the 28th February, 2022.